न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2019 (उदयपुर आर्डर)

1. भाम्भूलाल पिता श्री डालचन्द सुथार, निवासी संग्रामपुरा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. कालूराम पिता श्री हरलाल सुथार, निवासी 805, सूर्या नगर, सेक्टर नंबर 3, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. हरिश पिता पन्नालाल जी डांगी, नाबालिग बविलायात माता श्रीमती पुश्पा पत्नी पन्नालाल डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. सुश्री अनिता पुत्री पन्नालाल जी, नाबालिग बविलायात माता श्रीमती पुश्पा पत्नी पन्नालाल डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. पन्नालाल पिता सवराम जी डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मु॰ सरसी बेवा सवराम जी डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती केसर बाई (पिता सवराम जी) पत्नी रूपलाल जी डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती बसन्ती (पिता सवराम जी) पत्नी उमाराम जी डांगी, निवासी लोयरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. रमे”ा पिता काना जी डांगी, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

8. रो''ानलाल पिता भाान्तिलाल जी सेन, निवासी एकलिंगपुरा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

9. भगवतीलाल पिता रामचन्द्र जी डांगी, निवासी सुथारीखेड़ा, तहसील भादसाड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

10. हीरालाल पिता सुखलाल जी डांगी, निवासी मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा
दिनांक 13.02.2014 प्र॰सं॰ 218/13

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री अजयसिंह अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री खेमराज डांगी अभि. रे. सं. 1 व 2
3. श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रे. सं. 7
4. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक

29–08–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा एकलिंगपुरा की आराजीयात जो प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 के साथ संलग्न परि''िश्ठों में अंकित है, प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 से 4 की मौरूसी है। पक्षकारान का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार है। पक्षकारान का हिस्सा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 5 अनुसार होकर इसी अनुसार काबिज चले आ रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने से प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 7

व 10 में वर्णित भूमियों का नुमाई"ाी विकय कर दिया है, जिससे केता विपक्षी संख्या 6 से 7 जबरन कब्जा करने पर आमादा है, जबकि उक्त विकय पत्र नुमाई"ाी होकर प्रार्थीगण के मुकाबले भून्य व बेअसर है। प्रार्थीगण नाबालिग होकर उनका संरक्षण उनकी माता द्वारा किया जा रहा है। अतः विपक्षीगण को इस आ"ाय की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित उक्त परि"ाष्ठों की भूमि में प्रार्थीगण के अंकित हिस्से अनुसार उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा विकय हस्तान्तरण नहीं कर एवं मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

विपक्षीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 पूर्णतया स्वस्थचित व्यक्ति है तथा उसने सोच समझ कर विकय विलेख निश्पादित कर कब्जा सिपुर्द किया है, किन्तु अब प्रार्थीगण के मन में लालच आ जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 13–02–2014 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा पाबन्द किये जाने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 17–01–2019 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से वकील श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक

09–01–2019 को हुई। तत्प''चात् उनके द्वारा नकले प्राप्त की अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया, न ही उसे सुना गया, जिससे उसके हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त दोनों आवेदनों पर उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील करीब 5 वर्श विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा उन्हें जानकारी किस प्रकार एवं किससे हुई यह भी नहीं बताया गया है, हालांकि वह अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं हैं, फिर भी 5 वर्शो के विलम्ब के लिए उचित एवं पर्याप्त कारण होना आव''यक हैं। तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग है।

जहां तक दफा 96 के आवेदन का प्र''न है, अपीलान्ट/प्रार्थीगण के हित किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, यह उनके द्वारा स्पश्ट नहीं किया गया है। सिर्फ यह कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से उनके हितों पर कुठाराघात हुआ है एवं उनके हित प्रभावित हुए हैं, किन्तु किस प्रकार उनके हित प्रभावित हो रहे हैं एवं उनके किन हितों का कुठाराघात हुआ है, यह उनके द्वारा नहीं बताया गया है। तद्नुसार अपीलान्ट को आव''यक, हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता।

अतः अपील बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं हाने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13–02–2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 29–08–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर